



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 पौष 1944 (श०)
(सं० पटना 1112) पटना शुक्रवार, 30 दिसम्बर 2022

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

30 दिसम्बर 2022

अधिसूचना संख्या 14/2022-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 491, दिनांक 30 दिसम्बर 2022—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम - 12, 2017) की धारा 9 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या- 4/2017 राज्य कर (दर) , दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 547, दिनांक 29 जून, 2017, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 3क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“3क	33012400, 33012510, 33012520, 33012530, 33012540, 33012590	खट्टे फलों के अलावा निम्नलिखित आवश्यक तेल, यथा:- क. पुदीना का (मेंथा पिपेरिता); ख. अन्य मिंट का: स्पीयर मिंट तेल (एक्स मेंथा स्पीकाटा), वाटर मिंट-तेल (एक्स मेंथा एक्वेटिक), हॉर्समिंट तेल	कोई अपंजीकृत व्यक्ति	कोई पंजीकृत व्यक्ति”।
-----	---	--	----------------------------	--------------------------

		(एक्स-मेंथा साइलवेस्ट्रीज), बीरगामेंट तेल (एक्स मेंथा सिटरेट), मेंथा आरवेंसिस		
--	--	---	--	--

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2023 से लागू होगी।

[(सं०सं०- बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-14)-14)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

30 दिसम्बर 2022

एस० ओ० 491, दिनांक 30 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०- बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-14)- 14)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 30th December 2022

Notification No. 14/2022– State Tax (Rate)

S.O. 491, Dated 30th December 2022— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 4/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 547, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, for S. No. 3A and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
" 3A.	33012400, 330125 10, 3301 25 20, 3301 25 30, 3301 25 40, 3301 25 90	Following essential oils other than those of citrus fruit namely: - (a) Of peppermint (Mentha piperita); (b) Of other mints : Spearmint oil (ex-mentha spicata), Water mint-oil (ex-mentha aquatic), Horsemint oil (ex-mentha sylvestries), Bergament oil (ex-mentha citrate), Mentha arvensis	Any unregistered person	Any registered person".

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2023.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-14) 14)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1112-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

IndiaCode